रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 1, 1970/श्रावण 10, 1892

No. 140] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 1, 1970/SRAVANA 10, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st August 1970

G.S.R. 1121.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts sodium ortho silicate, sodium meta silicate, sodium sesqui silicate, sodium silicate poweder and refined liquid sodium silicate, falling under Item No. 14BB of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of 5 per cent *ad-valorem* subject to the following conditions namely:—

(i) it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise that such sodium silicates are used in industries other than soap industry; and

(ii) the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

[No. 154/70-Central Excises/F. No. 5/3/69-CX.3.]

P. R. KRISHAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 अगस्त 1970

सा० का० नि०—1121.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944, के नियम, 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14खख के अन्तर्गत आने वाले सोडियम आर्थो सिलिकेट, सोडियम मेटा सिलिकेट, सोडियम सैंखवी सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट पाउडर और परिष्कृत तरल सोडियम सिलिकेट को उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है जो, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, 5 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है, अर्थात्:—

(i) सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर के समाधान प्रद रूप में यह साबित कर दिया जाए कि ऐसे सोडियम सिलिकेट साबुन उद्योग से भिन्न उद्योगों में प्रयुक्त किए जाते हैं ; और

(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944, के अध्याय में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए ।

[सं० 154/70]

पी० आर० कृष्णन, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970